CMS- 2021/123

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

(1)

न0 40/2021 तारीखरजू:- 28.6.21

उनवान:- भजनलाल बनाम जयसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
6/21	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय गहलोत एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1046/0.10, 1047/1850/0.04, 1048/1851/0.04, 1049/0.17, 1278/0.20, 1280/0.20, 165/0.09, 425/0.06, 675/0.14, 827/0.05, 828/0.09, 942/1852/0.02, 1752/0.21, 1424/0.06, 1425/0.13, 1426/0.03, 1170/0.22, 1171/0.12, 1044/1849/0.05, 1045/0.15, 1050/0.13, 1051/0.13, 850/0.23, 851/0.20, 1183/0.15, 1184/0.13, 1279/0.19, 1281/0.20, 1293/0.55, 1543/0.29, 1557/0.29, 1607/0.07, 1608/0.09, 166/0.08, 167/0.10, 1746/0.23, 1747/0.13, 245/0.10, 45/0.07, 573/0.15, 575/0.15, 576/0.17, 582/0.08, 583/0.09, 668/0.13, 691/0.07, 692/0.08, 758/0.32, 826/0.08, है0 ग्राम शहराकर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी दिनांक 19.07.2021 तक सायल को विवादित आराजी के आवागमन मे बाधा पैदा नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह [illegible] उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामि[illegible] को पूर्वयुक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को [illegible] नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना [illegible] अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने [illegible] पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.07.2021 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना)

3145-50
28/6/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:19:28 IST
Reason: SelfAttested

ंक	फर्द अहकाम	
12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। वास्ते कायम मुकाम प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने दिनांक 11.8.23 को पेश हो।	
11/8/23	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित हैं। पीठासीन अधिकारी स्थानान्तरणाधीन है। पत्रावली गतानुसार दिनांक 21.9.23 को पेश हो।	
21/9/23	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 01.11.23 को पेश हो।	
1/11/23	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक 5.1.24 को पेश हो।	
5/1/24	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासीन अधिकारी कैम्प में पधारे हैं। गतानुसार दिनांक 8.1.24 को पेश हो	
8/1/24	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील अनुपस्थित उभयपक्ष वकील को बार-बार आवाज दिलवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी, अदम पैरवी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:19:28 IST
Reason: SelfAttested